Result Mitra Daily Magazine

राज्यपाल की पदावधि और शक्तियाँ

❖ हालिया संदर्भ :

➢ हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, तेलंगाना सहित 10 राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की है।

❖ नए राज्यपाल :

- राजस्थान - हरिभाऊ किसनराव बागडे
- छत्तीसगढ - रामेन डेका
- झारखंड - संतोष गंगवार
- महाराष्ट्र - सी. पी. राधाकृष्णन
- पंजाब एवं चंडीगढ - गुलाब चंद्र कटारिया
- असम - लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
- तेलंगाना - जिष्णुदेव वर्मा
- सिक्किम - ओम प्रकाश शर्मा
- मेघालय - सी एच विजयशंकर
- मणिपुर - लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (अतिरिक्त प्रभार)

❖ राज्यपाल की नियुक्ति :

- राज्यपाल न तो जनता द्वारा प्रत्यक्षतः चुना जाता है और न ही राष्ट्रपति के जैसे इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
- अनुच्छेद-155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र से होता है।
- वास्तव में राज्यपाल केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है लेकिन SC ने 1979 में व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और वह केन्द्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।
- 153 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन 7वे संशोधन एवं 1956 द्वारा व्यवस्था दी गई कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

❖ कार्यकाल :

- अनुच्छेद-156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेगा, लेकिन सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
- राज्यपाल 5 वर्षों के बाद भी तब तक पद धारण करता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
- इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है।
- सामान्यतः केन्द्र सरकार बदलने पर राज्यपाल को पदच्युत कर नए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
- राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा 1989 में तथा कांग्रेस सरकार द्वारा 1991 में पूर्व की सरकार द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों को पद से हटा दिया गया था।

❖ योग्यता :

- अनुच्छेद 157 में वर्णित
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।
- लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

Result Mitra

नोट :- सांसद, मंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि को लाभ का पद नहीं माना जाता है।

❖ पद की शर्तें :

- उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और यदि वह नियुक्ति के समय ऐसे किसी पद पर है तो उसे वह पद खाली करना होगा।
- पदावधि के दौरान उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जा सकती है और न ही जारी रखी जा सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत कृत्यों के लिए ही क्यों न हो।
- सिविल मामलों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के विरूद्ध 2 महीने की पूर्व नोटिस पर उसके खिलाफ कारवाई शुरू की जा सकती है।

❖ राज्यपाल की शक्तियाँ

1. विधायी शक्तियाँ

- राज्य विधानमंडल के सत्र को आहुत/सत्रावसान/विघटित करना,
- प्रत्येक वर्ष एवं प्रत्येक नए चुनाव के बाद सदनों को संबोधित करना,
- विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना,
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति/अस्वीकृति देना या राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना
- विधानमंडल के सत्र न चलने की स्थिति में अनुच्छेद-213 के तहत अध्यादेश जारी करना।

2. कार्यकारी शक्तियाँ :

- राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते है, क्योंकि वह राज्य का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है।
- मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करना,
- महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तें तय करना,
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना,
- राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करना,
- राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करना,

Result Mitra TM

- वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपति की नियुक्ति करता है।

3. वित्तीय शक्तियाँ :

- वार्षिक वित्तीय विवरण यानि बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने को सुनिश्चित करना,
- धन विधेयक, राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व-सहमति से ही लाया जा सकता है।
- अनुदान मांग उसकी सहमति के बिना नहीं मांगी जा सकती।
- नगरपालिका एवं पंचायतों की वित्तीय समीक्षा की प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करना,
- आकस्मिक निधि से धन बिना राज्यपाल के पूर्व सहमति के नहीं निकाला जा सकता है।

4. न्यायिक शक्तियाँ :

- राज्य की विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है।
- वह राष्ट्रपति की तरह संघीय कानून एवं सैन्य कानून के मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं रखता है।
- राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमा (पूर्णतः माफ) कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसी स्थिति में क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन क्षमादान के अन्य स्वरूप जैसे- परिहार, प्रविलंबन, लघुकरण या विराम का प्रयोग कर सकता है।
- राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद- 161 के तहत प्राप्त है जबकि राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद-72 से प्राप्त है।

❖ राज्य सरकार से संबंध :

- राज्यपाल की वास्तविक स्थिति गैर-राजनीतिक प्रमुख के रूप में परिकल्पित की गई है, जिसके अनुसार उसे राज्य की मत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना चाहिए।

Result Mitra TM

- अनुच्छेद-163 में वणित है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी, जिसके सलाह पर राज्यपाल काय्र करेगा।
- हालांकि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है, जिसमें उसे मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेना होती हे और इनमें से ज्यादातर मामलों में मंत्रिपरिषद अस्तित्व में होती ही नहीं है।

5. विवेकाधीन शक्तियाँ :

- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना अथवा नहीं देना।
- विधानसभा में किसी पार्टी को बहुमत साबित किए जाने के लिए समय-सीमा का निर्धारण करना,
- स्पष्ट बहुमत न होने पर किसी दल को (सामान्यतः सबसे बडे दल/गठबंधन) सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना।
- मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर और मंत्रिपरिषद द्वारा नए नेता के चुनाव नहीं किए जाने की स्थिति में किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करना,
- उपरोक्त विवेकाधीन शक्तियाँ राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण बनाती हैं।

❖ तनाव की स्थिति :

- पिछले कई दशकों से राज्यपालों को केन्द्र सरकार के इशारे पर कार्य करते हुए देखा गया है और विशेषकर विपक्षी पार्टियों वाले राज्य सरकारों द्वारा राज्यपाल पर केन्द्र के एजेंट होने का आरोप लगाया जाता रहा है।
- संविधान में कोई स्पष्ट वर्णन भी नहीं है कि तनाव के दौर में राज्य सरकार और राज्यपाल को सार्वजनिक रूप से किस प्रकार बातचीत करना चाहिए, जिससे तनाव दूर हो।
- तनाव को दूर करने में सबसे अहम उपाय एक-दूसरे की सीमाओं का समाधान किए जाने से है।
- हालांकि हाल के वर्षों में परस्पर रिश्ते कटु रहे है और एन रवि (तमिलनाडु) तथा आरिफ मोहम्मद (केरल) पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा पक्षतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया जाता रहा है।

❖ तनाव के कारण :

- राजनेता छवि वाले को राज्यपाल बनाया जाना,
- राज्यपाल का केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होना,
- राज्यपाल पर महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया का न होना,
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के एकमत न होने पर राज्यपाल द्वारा केन्द्र सरकारों के निर्देशों को मानना,

❖ संवैधानिक स्थिति :

- अनुच्छेद-154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संपन्न करेगा।
- अनुच्छेद-163 के अनुसार, विवेकाधीन मामलों को छोडकर, राज्यपाल को इसके दायित्वों के निर्वहन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो उसे सलाह देगी।
- अनुच्छेद-164 के अनुसार मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।

Result Mitra